

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 1973/भाद्र 27, 1895

No. 231], NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 1973/BHADRA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September 1973

G.S.R. 445(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (ANDHRA PRADESH) AMENDMENT ORDER, 1973

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Legislative Councils Act, 1957 (37 of 1957), read with section 12 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) and of all other powers enabling him in that behalf, the President, after consulting the Election Commission, is pleased to make the following Order further to amend the Delimitation of Council Constituencies (Andhra Pradesh) Order, 1957, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Andhra Pradesh) Amendment Order, 1973.

2. In the Delimitation of Council Constituencies (Andhra Pradesh) Order, 1957, in the Table below paragraph 2, for the existing entries relating to Serial No. 3 under "Graduates' Constituencies", Serial No. 4 under "Teachers' Consti-

tuencies" and Serial No. 7 under "Local Authorities' Constituencies", the following entries shall respectively be substituted, namely:—

Name of Constituency	Extent of Constituency	Number of seats
I	2	3
	<i>Graduates' Constituencies</i>	
"3. Cirkars South Graduates	Krishna, Guntur and Prakasam districts	1"
	<i>Teachers' Constituencies</i>	
"4. Guntur Teachers	Guntur and Prakasam districts	1"
	<i>Local Authorities' Constituencies</i>	
"7. Nellore Local Authorities	Nellore district	1
7A. Prakasam Local Authorities	Prakasam district	1"

3. In paragraph 3 below the Table, for the figures, letters and words "1st day of April, 1965", the figures, letters and words "1st day of April, 1973" shall be substituted.

4. Shri Gunapati Ramachandra Reddy, who was elected from the former Nellore Local Authorities' Constituency shall be deemed to have been elected from the Prakasam Local Authorities' Constituency and his term shall expire on 30-6-1976.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 7(5)/71-Leg.II.]
K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मितम्बर, 1973

सा० का० नि० 445 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आन्ध्र प्रदेश) संशोधन आदेश, 1973.

राष्ट्रपति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 12 के साथ पठित विधान परिषद् अधिनियम, 1957 (1957 का 37) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इन संशोधन में उक्त मन्त्रालय के द्वारा सत्र अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (आन्ध्र प्रदेश) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश) संशोधन आदेश 73 कहलाएगा।

2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) आदेश, 1957 में, पैरा 2 के नीचे की सारणी में, "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम सं० 3. "शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम सं० 4 और "स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम सं० 7 के संबंधित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र		
"3. दक्षिण मिरकार स्नातक	कृष्णा, गुंटूर और प्रकासम जिले	1"
शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र		
"4. गुंटूर शिक्षक	गुंटूर और प्रकासम जिले	1"
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र		
"7. नेल्लोर स्थानीय प्राधिकारी	नेल्लोर जिला	1
7क. प्रकासम स्थानीय प्राधिकारी	प्रकासम जिला	1"

3. सारणी के नीचे पैरा 3 में अंक, अक्षर और शब्द "1 अप्रैल, 1965" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "1 अप्रैल, 1973" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. श्री गणपति रामचन्द्र रेड्डी, जो भूतपूर्व नेल्लोर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, प्रकासम स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित हुए समझें और उनकी पदावधि 30-6-1976 को समाप्त होगी।

वी० वी० गिरी,
राष्ट्रपति।

[सं० फा० 7(5)/71-वि. II]

के० के० मुन्दरम्, सचिव।

